सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –19.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 22 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्त देव उर्फ विश्वनाथ पुत्र राजेन्द्र सिंह बेलदार नि0 उमरारखेड़ा कस्बा व थाना उरई जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 264/22 धारा 376(3)/506 भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 19.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त देव उर्फ विश्वनाथ उपरोक्त को दोषी पाते हुये 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।